



सूचना  
का  
अधिकार

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं

क्रमांक:एफ.16(1)( )/सूचना/आईसीडीएस/17/200310-42 जयपुर,दिनांक 26/12/17


लोक सूचना अधिकारी,  
उपनिदेशक,  
महिला एवं बाल विकास विभाग,  
समस्त ।

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 25 के अन्तर्गत वर्ष  
2016-2017 की सूचना उपलब्ध कराने के क्रम में।  
प्रसंग:- राज.सूचना आयोग से प्राप्त पत्र दिनांक 07.12.17

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, की धारा 25 के अन्तर्गत आयोग द्वारा वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार किया जाना है। अतः संलग्न प्रारूप के अनुसार जिला कार्यालयों एवं परियोजना कार्यालयों में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों एवं प्रथम अपील की सूचना संकलित कर सात दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करावे जिससे आयोग को सूचना से अवगत करवाया जा सके।

कृपया इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

संलग्न:- प्रारूप

  
लोक सूचना अधिकारी  
समेकित बाल विकास सेवाएं  
राजस्थान जयपुर

प्रारूप - 1

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत निस्तारित

लोक सूचना अधिकारी.....

विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं  
समयावधि वर्ष 2016-17

प्राप्त आवेदन (संख्या)			सूचना दी गई (संख्या)		अस्वीकृत	लम्बित	प्राप्त राशि (रूपयों में)
कुल	जिला मुख्यालय पर	अन्य (सीडीपीओ से प्राप्त)	समयावधि में	समयावधि पश्चात			
1	2	3	4	5	6	7	8

नोट : कॉलम 1=2+3 एवं कॉलम 4+5+6+7=1

प्रारूप - 2

सूचना का अधिकार एक्ट के तहत प्रथम अपीलों का निस्तारण

अपील प्राधिकरण.....

विभाग, समेकित बाल विकास सेवाएं  
समयावधि वर्ष 2016-17

कुल प्राप्त अपीलें (संख्या)	निस्तारित		लम्बित (संख्या)
	स्वीकृत	अस्वीकृत	
1	2	3	4

नोट : कॉलम 1=2+3+4